UPSR010010802026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस० सी०/एस० टी० एक्ट), श्रावस्ती

जमानत आवेदन पत्र संख्या–405/2026

1– पवन कुमार सिंह उर्फ पवन सिंह पुत्र मून सिंह उर्फ सर्वजीत सिंह, उम्र 51 वर्ष,

2– सानू सिंह उर्फ शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह उर्फ पवन सिंह, उम्र 35 वर्ष,

3– भानू सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह उर्फ पवन सिंह, उम्र 29 वर्ष

निवासीगण सर्रा बोझी, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... ...अभियोजक/वादी।

सत्र वाद संख्या– 154/2026

मुकदमा अपराध संख्या–215/2024

धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना–मल्हीपुर, जनपद– श्रावस्ती।

दिनांक–09.06.2026

1– पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते सुनवाई नियमित जमानत आवेदन आज नियत है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पवन कुमार सिंह उर्फ पवन सिंह, सानू सिंह उर्फ शैलेन्द्र कुमार सिंह व भानू सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आत्मसमर्पण प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2– नियमित जमानत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह न्यायालय प्रथम जमानत आवेदन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई भी जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मुकदमा उपर्युक्त में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। सच्चाई यह है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपने खेत में धान की दवाई कर रहे थे, जिसका भूसा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खेत में गिर रहा था। थोड़ी बहुत धूल वादी के खेत में हवा चलने के कारण जा रही थी, जिस कारण वादी द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गाली गुप्ता दी गयी व मार–

पीट की गयी, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अ०सं० 214/2024 पर वादी, उसके दो भाई व भतीजे के ऊपर प्रार्थी/अभियुक्त सानू सिंह के द्वारा दर्ज कराया गया। मात्र पेशबन्दी में झूठा आरोप लगाते हुये उपर्युक्त मुकदमा लिखवा दिया गया। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण अपनी जमानतें देने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना है।

3– संक्षिप्त में अभियोजन कथानक यह है कि वादी लल्लन ने प्रभारी निरीक्षक मल्हीपुर को तहरीर दिया कि दिनांक 01.11.2024 को शाम 04.30 बजे विपक्षीगण पवन कुमार सिंह, शानू सिंह व भानू सिंह वादी के खेत में धान का पैरा गिरा रहे थे। वादी ने पैरा गिराने से मना किया, तो विपक्षीगण वादी को जातिसूचक कोरी गाली गलौज देते हुए उसी खेत में काफी मारे–पीटे तथा जान माल की धमकी दिये। वादी के पूरे शरीर व सिर में काफी चोट है।

4– वादी के उक्त तहरीर के आधार पर प्रार्थीगण /अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 215/2024 पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

5– मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

6– वादी मुकदमा पर नोटिस जरिए वारिस तामील है परन्तु विरोध हेतु वादी मुकदमा की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नहीं है।

7– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को फर्जी फंसाया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर थे। उनके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की याचना है।

8– अभियोजन की ओर से विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने वादी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको मारा–पीटा तथा जान माल की धमकी भी दिया। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की याचना है।

9– प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण /अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है, जिस पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है। विवेचना के कोई तथ्य शेष नहीं है। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण ने न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत

आदेश में लगायी गयी शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है। वादी मुकदमा आज न्यायालय के समक्ष जरिए वारिस तामीला के बावजूद भी जमानत के विरोध हेतु हाजिर नहीं है और न ही उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास के बारे में भी नहीं बताया गया है।

10– अतः उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में, गुणदोष पर अंतिम निष्कर्ष दिये बिना ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पवन कुमार सिंह उर्फ पवन सिंह, सानू सिंह उर्फ शैलेन्द्र कुमार सिंह व भानू सिंह** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से सत्र वाद संख्या– 154/2026, मुकदमा अपराध संख्या–215/2024, धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–मल्हीपुर, जनपद– श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण में से प्रत्येक के द्वारा मु० पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है।

दिनांक 09.06.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी० एक्ट, श्रावस्ती।